नीलामी सूचना 2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्र के पुराने एवं नकारा घोषित सामान जिसमें प्रयोगशाला / कार्यालय / कृषि कार्यो आदि में काम आने वाले उपकरण / मशीनरी जिनका विवरण निम्न है:–

मद संख्या	नीलाम किये जाने का विवरण			
	सामान / साम्रगी	सूची क्रमांक	धरोहर राशि	नीलामी दिनांक
1.	A.c., Cooler, Deep Freeze. Water Cooler, Water Tank, Flash Door, Refrigerator व उससे संबन्धित सामान आदि	01 से 25	10,000.00	27.08.2021 (शुक्रवार)
2.	Iron Items Etc.	01 से 22		
3.	कृषि वानिकी से संबन्धित सामान (Submersible Motor Pump/Lawn Mover)	01 से 05		
4.	वैज्ञानिक उपकरण व उनसे संबन्धित सामान आदि	01 से 20		
5.	फर्नीचर व साज--सज्जा से संबन्धित सामान (Woodan & Iron)	01 से 24		
6.	कार्यालय / लेब में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के सामान / मशीनरी आदि	01 से 134		
7.	कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, टी.वी. आदि	01 से 16		
8.	स्टेबलाईजर, यूपीएस व उससे संबन्धित सामान आदि	01 से 18		

उक्त सामान / सामग्री की नीलामी, "जहां है जैसी है" के आधार पर की जानी है। सामान की नीलामी उपरोक्त वर्णित मदवार में अंकित दिनांक को प्रातः 11.30 बजे से केन्द्र के कार्यालय भवन में आयोजित की जावेगी। नीलामी में बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को उपरोक्त वर्णित मदवार में निर्धारित धरोहर राशि जमा करानी होगी, यह धरोहर राशि नीलामी की दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य ही जमा की जावेगी तथा प्रातः 11.30 बजे नीलाम हेतु बोली प्रारम्भ हो जायेगी। नीलामी से पूर्व सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त नकारा सामान को देख सकते है तथा अन्य जानकारी हेतु, कार्य–दिवसों मे कार्यालय–समय के दौरान केन्द्र के प्रभारी भण्डार व भण्डार पालक से सम्पर्क कर सकते है। नीलामी में शामिल नकारा सामान का पूरा विवरण तथा नीलामी की विस्तृत शर्ते / कार्यक्रम इत्यादि की जानकारी केन्द्र कार्यालय के सूचना–पट्ट या केन्द्र की वैब साईट www.nrccamel.icar.gov.in से ली जा सकती है। संबंधित व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने से पूर्व समय–समय पर जारी कोविड संबंधी गाईड लाईन की पालना करना अनिवार्य होगा।

(हस्ताक्षर)

सहा. प्रशासनिक अधिकारी

राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र जोरबीड़, शिवबाड़ी, बीकानेर

फाईल सं.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 05.08.20201

नकारा सामान हेतु नीलामी की विस्तृत शर्ते / कार्यक्रम

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शायी गयी सूची में वर्णित पुराने एवं नकारा सामान / सामग्री की नीलामी, "जहां है जैसी है" आधार पर की जानी है:–

1. प्रत्येक मद के लिए अलग अलग नीलामी होगी तथा पहले मद की नीलामी पूर्ण होने पर ही दूसरे मद की नीलामी प्रारंभ होगी।
2. प्रत्येक मद के लिए नीलामी दिनांक 27.08.2021 (मद 01 से 08 तक) को प्रातः 11.30 बजे से केन्द्र के कार्यालय भवन में प्रारंभ की जायेगी। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि नीलामी निर्धारित तिथी को नहीं हो सकी तो अगले कार्य दिवस को होगी।
3. प्रत्येक मद के लिये अलग नीलामी बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोली दाता को नीलामी धरोहर राशि जमा करानी होगी। यह राशि प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य ही जमा की जावेगी। तथा 11.30 बजे से ही बोली प्रारंभ हो जायेगी।
4. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे प्रत्येक मद (Group) की स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) तुरन्त मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि केन्द्र के बोली स्वीकार्य बाबत् पत्र प्राप्त होने के तीन दिनों में जमा करानी होगी। प्रथम मद (Group) की बोली स्वीकार होने पर बोली की राशि (33%) तुरन्त जमा कराने पर ही दूसरे मद (Group) की बोली में उस बोली दाता को शामिल किया जायेगा।
5. राज्य / भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी तरह के बिक्री कर इत्यादि की भुगतान की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी एवं केन्द्र उत्तरदायी नहीं होगा। यह नीलामी बोली राशि के अतिरिक्त होगा।
6. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि एवं बोली की एक तिहाई राशि केन्द्र द्वारा जब्त कर ली जायेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा। इस स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोलीदाता की बोली स्वीकार करने या नकारा सामान के विक्रय हेतु पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार केन्द्र के पास सुरक्षित रहेगा।
7. नीलामी से पूर्व सुबह 10.30 से दोपहर 12.30 बजे तक इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त नकारा सामान को देख सकते है तथा अन्य जानकारी हेतु, कार्य–दिवसों में कार्यालय--समय के दौरान केन्द्र के सहा. प्रशासनिक अधिकारी / प्रभारी भण्डार व भण्डार पालन से सम्पर्क कर सकते है।
8. जो व्यक्ति ऍन्ड्राय फोन का उपयोग कर रहे है, उनके मोबाईल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना आवश्यक है। सुरक्षित होने की अवस्था में ही उन्हें नीलामी के लिए केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।
9. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है।
10. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की केन्द्र के मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग (टेम्प्रेचर) की जॉच एवं हाथों को सेनेटाराईज्ड किया जायेगा। सामान्य होने की अवस्था में ही उन्हें केन्द्र में प्रवेश दिया जावेगा।
11. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को इस संबंध में भारत सरकार / राज्य सरकार / जिला कलेक्टर द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों / निर्देशों की अनुपालना आवश्यक रूप से करनी होगी।
13. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार केन्द्र के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।

सहा. प्रशासनिक अधिकारी

संलग्न : सामान सूची –

मद संख्या	नीलाम किये जाने का विवरण			
	सामान / सामग्री	सूची क्रमांक	धरोहर राशि	नीलामी दिनांक
1.	A.c., Cooler, Deep Freeze, Water Cooler, Water Tank, Flash Door, Refrigerator व उससे सबन्धित सामान आदि	01 से 25	10,000.00	27.08.2021 (शुक्रवार)
2.	Iron Items Etc.	01 से 22		
3.	कृषि वानिकी से संबन्धित सामान (Submersible Motor Pump/Lawn Mover)	01 से 05		
4.	वैज्ञानिक उपकरण व उनसे संबन्धित सामान आदि	01 से 20		
5.	फर्नीचर व साज–सज्जा से संबन्धित सामान (Woodan & Iron)	01 से 24		
6.	कार्यालय / लेब में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के सामान / मशीनरी आदि	01 से 134		
7.	कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, टी.वी. आदि	01 से 16		
8.	स्टेबलाईजर, यूपीएस व उससे संबन्धित सामान आदि	01 से 18		

प्रतिलिपि:–

1. प्रभारी सुरक्षा नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को केन्द्र में प्रवेश देने से पूर्व निर्देशों की पालना की सुनिश्चिता करें।
2. नोटिस बोर्ड / मुख्य द्वार
3. श्री दिनेश मुजाल, एसीटीओ को केन्द्र की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।